

भानु प्रताप सिंह
वित्त अधिकारी



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ- 226031
पत्रांक 1779-45 / डा0ए0के0टी0यू/ वित्त समिति / वित्त मु0 / 2017

दिनांक 02-08-17

सेवा में,

निदेशक

1. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।
2. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।
3. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा।
4. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।
5. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।
6. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।
7. यू.पी.टी.टी.आई., कानपुर।
8. बी.आई.ई.टी., झाँसी।
9. के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर।
10. कुलसचिव, एच.बी.टी.यू., कानपुर।
11. कुलसचिव, एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर।

महोदय,

इस पत्र के साथ दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ की, वित्त समिति की 48वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 17:48:10 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(भानु प्रताप सिंह)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :- स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए.के.टी.यू., लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(भानु प्रताप सिंह)

वित्त अधिकारी

FC
S

AC-2
Feb 17

Sun KIC
X

विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए

विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अन्य प्राविधिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 200.00 करोड़ की सहायता दी जानी प्रस्तावित है। इसमें 10 शायकीय इंजीनियरिंग कालेजों विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आई.ई.टी., लखनऊ, वास्तुकला मंत्रालय, लखनऊ तथा यू.पी.इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नॉएडा, सेंट्र ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के. टी.यू., लखनऊ तथा दो अन्य प्राविधिक विश्वविद्यालयों (एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर, एम. जी.टी.यू., कानपुर) को सहायता दी जानी प्रस्तावित है। इस योजना के मूल उद्देश्य निम्नवत हैं:-

इस योजना में निर्धारित धनराशि में से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं नव निर्माण, 40% धनराशि डिजिटलीकरण, शोध एवं रोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

1. चयनित संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, नये निर्माण, प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण व उच्चीकरण।
कक्षाओं की संख्या, स्मार्ट कक्षाओं की संख्या, प्रयोगशालाओं, हॉस्टल्स, आवासों की संख्या में वृद्धि, खेल-कूद की सुविधाओं में वृद्धि।
2. शोध को बढ़ावा देना।
शोध पत्रों का प्रकाशन, एम.टेक./पी.एच.डी. गाइडेड, पेटेन्ट्स की संख्या।
3. अक्षय ऊर्जा के उपोग को बढ़ावा देना।
सोलर प्लांट
4. छात्र-छात्राओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना व ट्रेनिंग व प्लेसमेन्ट सेल का सुदृढीकरण
स्थापित छात्र-छात्राओं की संख्या अधिकतम/न्यूनतम औसत पैकेज, कम्पनीज की संख्या जिन्होंने छात्रों का चयन किया, छात्र-छात्राओं की संख्या जो कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया।
5. ई-संसाधनों का विकास
ई-फीस कलेक्शन, ई-टेण्डर नीलामियों में बढ़ोतरी, मूल्य का कम होना, गुणवत्ता में सुधार होना।
6. दिव्यांगों हेतु सुविधाओं का विकास।
रैम्स/दिव्यांगों हेतु शौचालय व एस्केलेटर्स की संख्या में वृद्धि

क्रमांक	संस्था का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	रु.25.00 करोड़
2.	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,	रु.15.00 करोड़

5.	फेकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, ए.के.टी.यू., लखनऊ।	रु.10.00 करोड़
6.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, ब्राँदा।	रु.10.00 करोड़
7.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, ब्रिजनौरा।	रु.10.00 करोड़
8.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़।	रु.10.00 करोड़
9.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।	रु.10.00 करोड़
10.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।	रु.10.00 करोड़
11.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।	रु.10.00 करोड़
12.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।	रु.10.00 करोड़
13.	उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ए.के.टी.यू., नोएडा।	रु.10.00 करोड़
14.	सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के.टी.यू., लखनऊ।	रु.15.00 करोड़

2. अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1.	मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर।	रु.15.00 करोड़
2.	हरकोर्ट बटलर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कानपुर।	रु.15.00 करोड़

यह योजना तीन वर्षों की होगी, जिसमें कुल रु.200.00 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिये संस्थाओं को पी.एफ.एम.एस. में पंजीयन कराना होगा और सीधे भुगतान किया जाएगा। सभी खरीद ई-टेंडर अथवा जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। सभी अनुरक्षण कार्य ई-टेंडर के माध्यम से की जायेगी। सभी नये निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम लिमिटेड इत्यादि के माध्यम से कम्पटीटिव बिल्डिंग के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के ग्रांट इन एड के लिये निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा और व्यय हेतु बजट में मैनुअल में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त योजना की धनराशि विश्वविद्यालय के रेगुलेशन 4.26(II) के अन्तर्गत

